कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

प्रभारी मीडिया,

इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार तीन समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला ......, दैनिक [illegible] ...... एवं दैनिक [illegible] ...... समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग
ई–निविदा

दिनांक : 20/04/2022

पत्रांकः 649 /सम्प0अनु0

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 ठेका पार्किंग व अन्य ठेके के लिये नगर निगम कार्यालय पुनः ई–निविदा आमंत्रित आमंत्रित करता है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रकिया में भाग ले सकते हैं–

क्र0सं0	पत्रा0 सं0	ठेके का नाम	जमानत राशि	जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र	वित्तीय वर्ष 2021–22 में जमा धनराशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)	न्यूनतम ऑफर धनराशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)
1	NZ1	ठेका साईकिल स्कूटर कार पार्किंग जुबली पार्क	2,00,000.00	10 लाख	18,01,000.00	20,00,000.00
2	NZ2	ठेका मृत पशु निस्तारण	20,000.00	01 लाख	1,46,240.00	1,50,000.00
3	NZ3	ठेका पार्किंग जनरल पोस्ट आफिस रोड़।	40,000.00	10 लाख	3,73,500.00	4,00,000.00
4	NZ4	ठेका पशु मण्डी कमेला रोड	10,00,000.00	01 करोड	62,80,000.00	1,00,00,000.00
5	NZ5	ठेका साईकिल स्कूटर पार्किंग पालिका बाजार	75,000.00	01 लाख	7,11,940.00	7,50,000.00
6	NZ6	ठेका पार्किंग टैक्सी स्टैण्ड वाली भूमि पर	30,000.00	01 लाख	2,50,000.00	2,75,000.00

नोट 1– प्रत्येक ठेके के निमित्त आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमानत राशि की एफ0डी0आर0, खाते की पासबुक की छायाप्रति, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पास पोर्ट आकार के 02 फोटो एक शपथ पत्र जिस पर निविदादाता को फोटो लगा होगा तथा यह तथ्य अंकित होगा कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये है, तथा वह उत्तर प्रदेश के किसी भी संस्था/निगम का बकायेदार नही है, और कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही हुआ है। निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

2– ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3– ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4– जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नही होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नही ले सकेगें।

5– ऑनलाईन निविदा दिनांक 27.04.2022 को अपरान्ह् 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 27.04.2022 को अपरान्ह् 02:00 बजे तक कार्यालय में रखें टैण्डर बाक्स में अपनी टेक्निकल निविदा को डालें जाने एवम् तददिनांक को सायं 03:00 बजे निविदां गठित समिति एंव निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। यदि किसी ठेके हेतु पर्याप्त निविदा नही आती है, तो उसकी पुनः दिनांक 30.04.2022 को 03:00 बजे तक उन्ही शर्तो पर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी, जिसकी अलग से कोई सार्वजनिक सूचना जारी नही की जायेगी।

6– टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1298/– रू0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

कर अधीक्षक
नगर निगम सहारनपुर

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 19/04/22 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

3– रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।

4– नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

वित्तीय वर्ष 2022–23 तक के लिये ठेका पार्किंग एव अन्य ठेके हेतु ई–निविदा हेतु शर्तें

1. उक्त ठेकों में निविदादाता को कॉलम न0 06 न्यूनतम ऑफर धनराशि से कम की धनराशि अपनी निविदा में अंकित नही करनी है, इस धनराशि से कम धनराशि अंकित होने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

2. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ अपने बैंक खाते की पास बुक जिसमें उसका नाम पता खाते का विवरण व अपडेट धनराशि का विवरण अंकित हो संलग्न करनी होगी।

3. वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर सफल निविदादाता को निगम कोष में ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा/हस्तांतरित करनी होगी। निर्धारित अवधि में 24 घण्टे के अन्दर धनराशि जमा न होने पर धरोहर राशि/जमा धनराशि जब्त कर दूसरे व्यक्ति/फर्म को ठेके हेतु उक्त धनराशि जमा करने का अवसर दिया जायेगा/समस्त धनराशि जमा होने व अनुबन्ध होने के पश्चात ही कार्यदेश जारी होगा।

4. ठेका मृत पशु शव निस्तारण पशु स्वाच्छेदन औधोगिक सहकारी समिति को दिये जाने का प्राविधान है और उस ठेके में प्रतिवर्ष एक ही निविदा आती है, इसलिये इस ठेके हेतु एकल निविदा को भी स्वीकार किया जायेगा, वित्तीय बिड खाले जाने के उपरान्त यदि उसकी निविदा गत वर्ष से 10 प्रतिशत अधिक होगी तो उसे स्वीकार किया जा सकेगा।

5. ठेका पार्किंग जुबली पार्क के लिये निविदा एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) के लिये आमंत्रित की जा रही है जुबली पार्क पर सहारनपुर स्मार्ट सिटी परियोजना प्रस्तावित है, यदि उक्त ठेका बीच अवधि में बन्द करना पडा तो उस अवधि जिसमें ठेका नही चलेगा, उस अवधि की धनराशि वापिस की जा सकेगी।

6. अपनी निविदा धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर0 जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम से बन्धक होगी वह निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। एफ0डी0आर0 संलग्न न होने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

7. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमानत राशि की एफ0डी0आर0, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पास पोर्ट आकार के 02 फोटो एक शपथ पत्र जिस पर निविदादाता को फोटो लगा होगा तथा यह तथ्य अंकित होगा कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये है, तथा वह निगम का बकायेदार नही है, और कभी भी किसी संस्था के ब्लैक लिस्टेड नही हुआ है। निविदा के साथ संलग्न करने होंगे। उक्त प्रपत्रों के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

8. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित धनराशि के मूल्य का स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराना होगा, तथा उस पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, उसके बाद ही कार्यादेश जारी होगा।

9–ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

10–ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा तथा वसूल की जाने वाली शुल्क की रसीदों का प्रारुप नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही रसीद जारी की जायेगी। ऐसा न करने पर उसे

Scanned with CamScanner

ठेके की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

11–यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तों एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्ध रहेगा।

12– ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

13–यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14– किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

15– **वित्तीय** वर्ष 2022–23 **हेतु पार्किंग ठेकों में वाहनों से वसूले जाने वाली दरों का विवरणः–**

साईकिल – 05 रु.

स्कूटर – 10 रु.

मोटर साईकिल – 10 रु.

कार/जीप – 50 रु.

थ्री व्हीलर – 25 रु.

16–ठेका पशु मण्डी कमेला रोड सहारनपुर शुल्क की वसूली इस प्रकार की जायेगी।

क. भैंस/भैंसा – 150/– रू0 प्रति

ख. कटडा/कटडी/बकरा 100/– रू0 प्रति

17–यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

18–टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1298/– रू0(जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

19–यदि किसी निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर ठेका लेने में कामयाब हो जाता है, और बाद में तथ्य उजागर होता है, तो ऐसे ठेकेदार के विरूद्व जमानत राशि जब्त करने व ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कार्य होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। जमानत राशि ठेका सन्तोष जनक पूर्ण होने पर ही वापस की जायेगी।

20–सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का कार्यालय को जमानत राशि व वैध चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा।

कर अधीक्षक
नगर निगम सहारनपुर

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner